

भारत सरकार  
वित्तीय मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 113

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 1 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947(शक) को दिया जाना है)

कर्नाटक से एकत्रित जीएसटी और उपकर/अधिभार राजस्व

113. श्री ई. तुकाराम:

क्या वित्तीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान कर्नाटक राज्य से एकत्रित केंद्रीय करों, जीएसटी और उपकर/अधिभार राजस्व का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कर हस्तांतरण, अनुदान और विशेष सहायता के माध्यम से राज्य को हस्तांतरित संबंधित खातों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय आयोग द्वारा सिफारिश की गई कोई विशेष अनुदान उक्त राज्य में लंबित है या जारी नहीं की गई है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने जीएसटी लागू होने के बाद प्रतिकर राजस्व हानि के लिए कर्नाटक जैसे उत्पादक राज्यों को मुआवजा देने के लिए कोई वैकल्पिक तंत्र तैयार किया है/तैयार करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

वित्तीय राज्य मंत्री  
(श्री पंकज चौधरी)

क): वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक के लिए कर्नाटक राज्य से प्राप्त सकल जीएसटी संग्रहण नीचे दिया गया है: -

(रुपये करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष			
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
सीजीएसटी	22,697	28,448	33,321	36,905
एसजीएसटी	28,660	35,429	40,969	45,314
आईजीएसटी	35,101	45,602	54,123	59,550
उपकर	9,468	13,342	16,852	17,794
कुल	95,926	1,22,821	1,45,265	1,59,563

(ख): वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक कर्नाटक राज्य को प्रदत्त कर अंतरण, अनुदान और विशेष सहायता का विवरण नीचे दिया गया है: -

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कर अंतरण	सहायता अनुदान *	एसएससीआई के अंतर्गत जारी किए गए निधियाँ **
2021-22	33,284	7,862	452
2022-23	34,596	4,435	3,399
2023-24	41,193	3,769	3,879
2024-25	46,933	7,745	5,296
<b>कुल</b>	<b>1,56,005</b>	<b>23,811</b>	<b>13,026</b>

\* एनडीआरएफ से प्राप्त अतिरिक्त केंद्रीय सहायता सहित

\*\* पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने हेतु योजना

(ग): कर्नाटक राज्य को जारी करने हेतु कोई विशेष सहायता अनुदान लंबित नहीं है।

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*